भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1800

04 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

एफसीआई द्वारा पीडीएस चावल को अवैध रूप से अन्यत्र भेजा जाना

1800. श्री जावेद अली खान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लाभार्थियों में वितरित किए जाने वाले चावल को एफसीआई के अधिकारियों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से अन्यत्र भेजकर निजी व्यापारियों को बेच दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चावल को गैर-कानूनी तरीके से अन्यत्र भेजे जाने की जाँच शुरू की है और इस संबंध में ज़िम्मेदारी तय की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब लाभार्थियों को वितरण के लिए निर्धारित चावल को अन्यत्र भेजकर निजी व्यापारियों को बेचने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
